तनवी शर्मा ने बच्चों को प्रेरित किया

कोटा, (निसं)। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन डाक बंगला कोटा में हाल ही में एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मिस टीन इंडिया सीजन 7 की विजेता एवं प्रशस्ति प्राप्त तनवी शर्मा ने बच्चों से संवाद कर उन्हें भविष्य की दिशा में प्रोत्साहित किया।

तनवी शर्मा ने बच्चों को समझाया कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि अपने पैशन और पेशेंस को साथ लेकर अपने सपनों को साकार करना जरूरी है। उन्होंने कहा, बच्चों को अपने पसंदीदा क्षेत्र में खुद को काबिल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और अपना तथा देश का भविष्य उज्ज्वल बना सकें। तनवी ने विशेष रूप से यह भी जोर दिया कि आज की बेटियां देश का भविष्य हैं। उन्होंने बच्चों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत जागरूक किया और स्वच्छता का महत्व भी बताया। उनका संदेश था पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सभ्य भारतीय बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और देश तथा जिले का नाम रोशन करें। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य डॉ. कुसुम लता ने भी बालिकाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अच्छे संस्कार और चरित्र निर्माण शिक्षा से ही व्यक्ति सशक्त बनता है। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को सफल जीवन के लिए प्रोत्साहित किया।

एनीमिया नियंत्रण के लिए शक्ति दिवस मनाया : एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र एवं स्कूलों में शक्ति दिवस मनाया। इस अवसर पर लक्षित बच्चे, किशोर-किशोरी, धात्री माताएं, गर्भवती व प्रजनन उम्र की लाभार्थी महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई और हीमोग्लोबिन की जांच कर आईएफए (आयरन फोलिक

शातिर साइबर ठग को जयपुर से किया गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। साईबर पुलिस टीम ने साइबर ठगी के दर्ज प्रकरण में कार्यवाही करते हुए साईबर ठगी की राशि को स्वयं के बैंक खाते में जमा करवाने वाले शातिर ठग को जयपुर से गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 30 अप्रैल 2024 को फरियादी शुभोजित दास ने साईबर थाने में रिपोर्ट दी। शहर एसपी ने कहा कि फरियादी ने रिपोर्ट में कहा कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे एक वाटसऐप ग्रुप में जोड़कर इन्वेस्टमेंट पर मोटे मुनाफे का लालच देकर अलग-अलग बैंक खातों से 7752382 रूपये की ठगी कर ली। शहर एसपी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया।

मामले में कार्यवाही के लिये साइबर थाने के पुलिस उपअधीक्षक विनोद कुमार के सुपरविजन में साईबर थाने के थानाधिकरी सतीश चन्द के नेतृत्व में टीम गठित की गई। शहर एसपी ने बताया कि गठित टीम ने साईबर ठगी कर राशि जमा करवाने में प्रयोग किये गये बैंक खातों व मोबाइल नम्बरो का पता लगाया। गठित टीम ने बैंक रिकॉर्ड व तकनीकी अनुसंधान से आरोपी की पहचान कर तलाश करते हुए शातिर ठग नरेन्द्र साहु को जयपुर से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। शहर एसपी ने बताया कि प्रकरण मे सामने आया कि फरियादी से साईबर ठगी कर आरोपी नरेन्द्र साहु के फेडरल बैंक के खाते में 23 अप्रैल 2024 को 2

साईबर ठगी की राशि को स्वयं के बैंक खाते में जमा करवाने वाले शातिर ठग को जयपुर से गिरफ्तार किया है।

■ शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि 30 अप्रैल 2024 को फरियादी शुभोजित दास ने साईबर थाने में रिपोर्ट दी

जंगल में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव

कोटा, (निसं)। भीमगंजमंडी थाना इलाके में एक युवक ने सुसाईड कर लिया, युवक का शव इलाके के रेलवे यार्ड के पास जंगल में पेड़ पर लटका मिला। युवक के शव मिलने की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मौके एसएफएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाये गये। पुलिस ने मृतक युवक के शव को नीचे उतार कर एमबीएस अस्पताल की पोस्टमार्टम रूम में रखवाया।

मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के लाल खेड़ी निवासी प्रधान सिंह के रूप में हुई। भीमगंजमंडी थाने के एएसआई हरदेव सिंह ने बताया कि रेलवे यार्ड के जंगल में पेड़ पर युवक के शव लटकने की सूचना मिली, सूचना पाकर मौके पर पहुंचे।

मृतक के पास मिले मोबाईल के आधार पर मृतक की शिनाख्त कर मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। एएसआई ने बताया कि मृतक लालखेड़ी निवासी प्रधान सिंह (28) कोटा में रहकर मजूदरी करता था, जो पिछले कई महिनो से अपने घर नही गया था। एएसआई ने बताया कि फिलहाल घटना के कारणों का पता नही लग पाया है प्रथम दृष्टया से आत्महत्या का मामला

ग्रामीणों को मिली योजनाओं की जानकारी

कोटा, (निसं)। ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार को वित्तीय साक्षरता एवं समावेशन शिविर आयोजित किए गए। शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूक करना तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना रहा।

अग्रणी जिला प्रबंधक दिलीप कौर ने बताया कि उन्होंने चेचट, देवलीकलां एवं बुढखन में आयोजित शिविरों में ग्रामीणों को वित्तीय साक्षरता से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वित्तीय ज्ञान से ग्रामीण परिवार न केवल सुरक्षित रह सकते हैं बल्कि योजनाओं का लाभ लेकर जीवन स्तर भी बेहतर बना सकते हैं। शिविरों में सीएफएल से लीना योगी, सेंट्रल बैंक के शाखा प्रबंधक अमर सिंह सहित अन्य बैंक प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही पात्र ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ा और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई ग्रामीणों को तत्काल इनसे जोड़ा गया। शिविर में ग्रामीणों को डिजिटल लेन-देन, बचत की आदत, बीमा सुरक्षा और ऋण सुविधाओं के बारे में भी बताया गया।

आधार कार्ड डाउनलोड सुविधा शुरु

कोटा, (निसं)। संस्था आधार पोर्टल पर एसएएन रजिस्ट्रेशन पश्चात् एसएएन कार्ड को वाट्सएप पर डाउनलोड करने की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग विक्रम पोसवाल ने बताया कि संस्था आधार पोर्टल पर एसएएन रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक के रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नम्बर के वाट्सएप पर कार्ड को डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन की तिथि 15 सितम्बर तक कोटा, (निसं)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) के तहत जिले में रिक्त या नवसृजित उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितम्बर तक निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 15 सितम्बर तक कर दी गई है।

कलक्टर ने किया पीएचईडी कार्यालय का निरीक्षण

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर पीयूष समारिया मंगलवार को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे और कोटा जिले की बजट घोषणाओं की प्रगति एवं पेयजल वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कोटा जिले में वर्तमान में पीएचईडी के लम्बित मुद्दों पर भी चर्चा की।

जिला कलक्टर ने अमृत 2.0 के तहत कोटा में होने वाले कार्यों के कार्यादेश की प्रगति के बारे में पूछा। अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार झा ने बताया कि अमृत योजना में सम्मिलित 5 शहरी कस्बों इटावा, सांगोद, सुल्तानपुर, रामगंजमंडी एवं कैथून के लिए 17 जून को कार्यादेश जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें इटावा में 7.12 करोड़, सुल्तानपुर में 10.48 करोड़, रामगंजमंडी में 9.12 करोड़, कैथून में 6.02 करोड़ एवं सांगोद में 5.22 करोड़ रुपये के कार्य कराए जाने हैं।

नगर निगम कोटा उत्तर में 175 करोड़ रुपये तथा तथा नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में 220 करोड़ रुपये के कार्य कराए जाने हैं। उत्तर में निविदा तकनीकी परिक्षण की प्रक्रिया में जबकि दक्षिण में आगामी दिनों में तकनीकी बिड खोली जाएगी। जिला कलक्टर ने 15वें वित्त आयोग के तहत शहरी जल प्रदाय योजनाओं की प्रगति, जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत वृहद् पेयजल परियोजनाओं एवं ओटीएमपी तथा अभी किए गए जल संबंधों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत हेंडपंप एवं ट्यूबवेल की स्थिति के बारे में भी जानकारी ली। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि आंवली रोझड़ी एवं नयागांव क्षेत्र में स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस निर्माण एवं पाइप लाइन के कार्य के कार्यादेश अगस्त माह में जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। ताकली बांध से रामगंजमंडी कस्बे एवं कुदायला औद्योगिक क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने, जल योजना सांगोद के अंतर्गत जल शोधन संयंत्र पम्प हाउस संवर्धन आदि कार्यों की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है।

■ पेयजल परियोजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति की ली जानकारी

'बाढ़ से प्रभावित आमजन शीघ्र नवीन खाते जानकारी दे'

कोटा, (निसं)। जिले में अधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के सहायता संबंधित प्रकरणों को डीएमआईएस पोर्टल पर भुगतान के लिए अपलोड किए जाएंगे। इस संबंध में अधिकांश 80 प्रतिशत आवासीय क्षति से अभावग्रस्त लोगों के बैंक खाते बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं में है।

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वर्तमान में राजस्थान ग्रामीण बैंक में समायोजित हो जाने से सभी खाताधारकों के नवीन खाता नम्बर एवं आईएफएससी कोड जनरेट हो गए हैं। नवीन खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड खाताधारकों द्वारा अपने जनआधार कार्ड में अपडेट नहीं कराए गए हैं। जिसके कारण आवासीय क्षति के प्रकरण डीएमआईएस पोर्टल पर भुगतान के लिए तैयार नहीं किए जा सके हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग कृष्णा शुक्ला ने बाढ़ से प्रभावित आमजन से आह्वान किया है कि जिनके बैंक खाते बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की विभिन्न शाखाओं में हैं वे शीघ्र अपने जनाधार कार्ड में नवीन खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड अपडेट कराएं ताकि बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार भुगतान के लिए प्रकरण तैयार किए जा सकें।

विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के दिए निर्देश

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, तहसीलदारों तथा जिला स्तरीय विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों एवं योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।

कलक्टर ने कहा कि राइजिंग राजस्थान से जुड़े भूमि आवंटन और रूपांतरण के प्रकरणों में अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें, ताकि निवेशकों को समय पर सुविधा उपलब्ध हो सके और जिले में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और तत्परता बरतना अत्यंत आवश्यक है। बैठक में एन.एफ.एस.ए. आवेदन, किसान रजिस्ट्री, भूमि अधिग्रहण, एस.डी.आर.एफ. प्रस्ताव, गांव चलो अभियान-शहर चलो अभियान तथा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की प्रगति पर भी चर्चा की गई।

कलक्टर ने निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित ग्रामीणों को समय पर उचित मुआवजा मिल सके इसके लिए सर्वे कार्य सावधानी से किया जाए, सुनिश्चित किया जाए जहां भी क्षति हुई है वह सर्वे में अंकित हो, उन्होंने सर्वे में पशुधन और पशु-बाड़ों को हुए नुकसान को भी सावधानी पूर्ण शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सर्वे रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में पोर्टल पर अपलोड हों। राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को गंभीरता से लेते हुए कलक्टर ने कहा कि शिकायतों का समाधान न्यूनतम समय में हो और विभागीय कार्रवाई इस प्रकार की जाए कि परिवादी पूरी तरह संतुष्ट हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसान रजिस्ट्री कार्य को प्राथमिकता से किया तथा एनएफएसए में पात्र और वंचित लोगों को शीघ्र जोड़ा जाए।

■ अतिवृष्टि क्षति सर्वे, भूमि आवंटन और किसान रजिस्ट्री की प्रगति पर कलक्टर ने ली समीक्षा बैठक

निर्माण की तैयारियों की समीक्षा

कोटा, (निसं)। कोटा-बून्दी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के लिए तैयारियों की समीक्षा मंगलवार को नागरिक उड्डयन विभाग के शासन सचिव जोगाराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। वीसी में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, बूंदी कलक्टर अक्षय गोदारा सहित दोनों जिलों के संबंधित विभागों के अधिकारी वीसी से जुड़े।

शासन सचिव ने एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित विभिन्न स्तर पर भेजे गए प्रस्तावों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और निर्देश दिए कि इन प्रस्तावों का निरंतर फॉलो-अप किया जाए ताकि इनकी क्रियान्विति में विलंब नहीं हो। एयरपोर्ट अथॉरिटी, कोटा विकास प्राधिकरण, पेयजल, विद्युत, वन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के स्तर पर अब तक की गई कार्रवाई और राज्य व केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित प्रक्रियाओं की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

प्रथम रेक लदान का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। कोटा मंडल के कोटा-गुना रेलखंड पर स्थित सुंदलाक स्टेशन पर विकसित गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल में आज प्रथम माल रेक लदान का सफल शुभारंभ किया गया। यह टर्मिनल भगवत प्रॉपर्टीज लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जिसका संचालन ''जीसीटी सुन्दलक के नाम से किया जा रहा है। इस सुविधा के माध्यम से खाद्यान्न, उर्वरक एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की लदान एवं अनलोडिंग की प्रक्रिया को गति प्रदान

खोया पाया

मेरे आवास संख्या 6-D-38 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा का INVENTORY DECLARATION भौतिक कब्जा पत्र कही गुम हो गया है। मैंने ढूंढने की काफी कोशिश की पर कही नहीं मिला। किसी को मिले तो निम्न पते पर भिजवाने की कृपा करें।
पता-सईदा बेगम पुत्री श्री अब्दुल वहाब D-63 SWARAJ ENCLAVE MANPURA BORKHEDA KOTA MOB. NO. 9887823027

खोया-पाया

मैं, सुरेश गगरानी के भू-आवंटन लेटर क्रमांक 1122, जारी दिनांक 24-09-2002, जो कि नगर विकास न्यास (अब कोटा विकास प्राधिकरण) ने ललिता केजरीवाल के नाम से जारी किया था कहीं गुम हो गया है जिस किसी को मिले कृपया 9829736368 पर संपर्क करें।

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/370 दिनांक:-9.9.25

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा भूखंड संख्या 776 आनन्दपुरा आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 821 दिनांक 19.05.2010 को श्री शुशील कुमार गर्ग पुत्र श्री राधेश्यामजी गर्ग के नाम किया गया था। श्री शुशील कुमार गर्ग पुत्र श्री राधेश्यामजी गर्ग द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री भंवर लाल पुत्र स्व. श्री हिन्दु जी द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.03.2016 को श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री भंवर लाल को विक्रय कर दिया गया है। अत: श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री भंवर लाल द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 776 आनन्दपुरा आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती प्रेमबाई पत्नी श्री भंवर लाल के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च
राष्ट्रीय ओलंपियाड कार्यक्रम 2025-2026
खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, जूनियर विज्ञान में

कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक सभी छात्रों को 22 और 23 नवंबर, 2025 को भारतीय भौतिकी शिक्षक संघ (आईएपीटी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मानक परीक्षा (एनएसई) (विज्ञान विषयों के लिए) में उपस्थित होना होगा।
एनएसई में योग्यता प्राप्त करना 2026 के संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भाग लेने की दिशा में पहला कदम है।
नामांकन करना: एनएसई: https://www.iapt.org.in (21 अगस्त 14 सितंबर, 2025)
अधिक जानकारी के लिए: https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in
CBC 48143/12/0807/2526

रेरा राजस्थान की संभाग स्तरीय कार्यशाला

कोटा, (निसं)। रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) राजस्थान की चेयरपर्सन वीनु गुप्ता ने कहा कि रेरा फ्लैट एवं प्लॉट खरीदने वालों के अधिकारों की सुरक्षा के साथ ही रेगुलेटरी मापदंडों के तहत रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया प्लेटफॉर्म है। प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होने अथवा पजेशन में देरी होने पर खरीददार रेरा अधिनियम के तहत डवलपर की शिकायत कर सकता है। रेरा खरीददारों एवं प्रमोटरों के मध्य कानूनी विवाद में समाधान प्रदान करता है। दर्ज शिकायत को प्राधिकरण द्वारा केस मानकर उसकी सुनवाई की जाती है और शिकायतकर्ता को राहत दी जाती है। उन्होंने बताया कि रेरा राजस्थान में अभी तक ऐसी 6 हजार शिकायतें दर्ज हुई जिनमें से 4 हजार 800 का निस्तारण प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है।

रेरा चेयरपर्सन मंगलवार को रेरा अधिनियम और नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए केडीए सभागार में आयोजित एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहीं थीं। कार्यशाला में संभागीय आयुक्त एवं कोटा कलक्टर पीयूष समारिया, केडीए आयुक्त हरफूल यादव, संभाग के स्थानीय निकायों, निगम, नगरपरिषद, नगरपालिका के अधिकारी, टाउन प्लानर एवं डवलपर्स शामिल हुए।

गुप्ता ने बताया कि रेरा राजस्थान द्वारा अभी तक जोधपुर एवं उदयपुर संभाग में ये कार्यशाला आयोजित की जा चुकी है। कोटा के बाद बीकानेर में भी आगामी दिनों में कार्यशाला आयोजित कर रेरा के प्रावधानों, विकासकर्ता एवं खरीददार के लिए बने कानूनी ढांचें आदि की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 मई 2017 से रेरा अधिनियम प्रदेश में लागू हुआ हैं। इसके बाद से स्थानीय निकायों, प्राधिकरणों, यूआईटी अथवा अन्य सक्षम स्तर से अनुमोदित आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित उपयोग की ऐसी परियोजना प्रोजेक्ट जिसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर से अधिक एवं 8 यूनिट से अधिक हैं उसे रेरा अधिनियम के तहत रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।

1 मई 2017 से पूर्व से शुरु ऐसे प्रोजेक्ट जिनके पास 1 मई 2017 तक कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें भी रजिस्टर करवाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त तक प्रदेश में 4 हजार प्रोजेक्ट्स रजिस्टर किए गए हैं। इनमें से कोटा जिले के 329, झालावाड़ के 33, बूंदी के 15 एवं बारां के 3 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। सर्वाधिक 1765 प्रोजेक्ट्स जयपुर जिले द्वारा रजिस्टर कराए गए हैं।

उन्होंने कहा कि रेरा अधिनियम के तहत प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। सभी डवलपर्स को समान नियमों के तहत समान व्यवहार मिलता है। प्रोजेक्ट छोटे हो या बड़े अधिनियम की प्रक्रियाओं की पालना नहीं करने पर कार्यवाही के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जो डवलपर अपना प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं करवाते हैं उनके खिलाफ भी रेरा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है।

रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) राजस्थान की चेयरपर्सन वीनु गुप्ता संभाग स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया।

■ प्रदेश में 4 हजार परियोजनाएं रेरा में पंजीकृत, कोटा के 329 प्रोजेक्ट्स

Government of India

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/Ministry of Environment, Forest and Climate Change

LiFE Lifestyle for Environment

सत्यमेव जयते

B-215 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४ / B-215& B-216, "ARANYA BHAWAN" ,Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004 दूरभाष/Tel No: 0141-2713858Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

Regional Office, Gandhinagar

Online Proposal No.: **FP/RJ/Pipeline/481634/2024** Dated: **12/08/2025**

To,

Principal Secretary (Forest and Environment),
Department of Forest and Wildlife
Government of Rajasthan,
Vaniki Path, Near Secretariat
Jaipur-302005 (Rajasthan)

Subject: Proposal for diversion of 0.9434 ha Forest Land for Laying of Pipe Line Gararda Water Supply Project to provide FHTC including 10 Years O&M under Jal Jeevan Mission District -Bundi (Rajasthan).

Sir/Madam,

I am directed to refer to the online proposal no. FP/RJ/Pipeline/481634/2024. dated 15/06/2024 on the above-mentioned subject seeking prior approval of the Central Government in accordance with section' 2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and to say that the proposal has been examined by Regional Office as per extant rules and regulations. After the examination, the undersigned is directed to convey the **"In-Principle/Stage-I"** approval of the Central Government under section 2 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for the Proposal for diversion of 0.9434 ha Forest Land for Laying of Pipe Line, Gararda Water Supply Project to provide FHTC including 10 Years O&M under Jal Jeevan Mission, District -Bundi (Rajasthan) subject to the fulfillment of the following conditions:-

1. General Conditions

S. No	Conditions
1.1	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged
1.2	The boundary of the diverted forest land, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, forward and back bearing and distance from pillar to pillar.Photographs of the Forest land demarcation shall be submitted along with the compliance report.
1.3	The User Agency shall transfer the cost of raising and maintaining the compensatory afforestation, at the current wage rate, to the State Forest Department. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years
1.4	The total forest area utilized for the project shall not exceed 0.9434 Ha and the forest area diverted shall not be used for any purpose other than those shown in the diversion proposal;
1.5	The compensatory afforestation scheme, as approved, shall be implemented by the State Forest Department at the project cost within a period of three years from the date of grant of 'Final' approval
1.6	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard
1.7	At the time of payment of the Net Present Value (NPV) at the then prevailing rate, the User Agency shall furnish an undertaking to pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'ble Supreme Court of India
1.8	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required
1.9	No labour camp shall be established on the forest land and the User Agency shall provide firewood preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas
1.10	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal
1.11	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government
1.12	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government
1.13	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused
1.14	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department
1.15	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife
1.16	The State Government, before issuing the final diversion order, shall ensure that the user agency has complied with all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and NGT Order (s), including compliance of Forest Rights Act, 2006, pertaining to this project, for the time being in force, as applicable to the project;
1.17	The conditions required to be adhered under the Forests Right Act, 2006 as per the rules/guidelines issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan)Adhiniyam, 1980 shall be strictly complied with
1.18	Violation of any of these conditions will amounts to violation Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 and action would be taken as prescribed under the Act, Rules and Guidelines relevant.
1.19	Compensatory levies, to be realized from the User Agency, in lieu of diversion of forest land, shall be transferred/ deposited, through e-payment module (https://parivesh.nic.in/) of PARIVESH, into the concerned account of State/UT CAMPA, managed by the National Authority (CAMPA).

2. Standard conditions

S. No	Conditions
2.1	Forest land shall not be used for any kind of quarrying and muck to be generated during the laying of water pipeline shall be dumped with the permitted RoW.
2.2	The User Agency shall ensure that after laying of water pipe line the muck generated is back filled and the area should be restored to its natural state by undertaking plantation of suitable tree species in consultation with the State Forest Department

3. Specific Conditions

S. No	Conditions
3.1	The User Agency shall comply with all the conditions stipulated in the approval granted by the Standing Committee of National Board for Wildlife.
3.2	**User agency shall restrict the felling of trees to 133 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and cost of felling of trees shall be born by the UA.**
3.3	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 3.0 ha **DFL** idetified in Survey No./Block/Compartment No.1, Village-Gunwar, Tehsil-Bundi, District-Bundi of Rajasthan at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and mono-culture of any species may be avoided
3.4	The User Agency shall provide CA in NFL area for compensatory afforestation in lieu of the forest area diverted, if applicable, based on the final outcome in the WP No.1164/2023, which is currently pending before the Hon'ble Supreme Court of India. The State Forest Department shall ensure that an undertaking from the user agency is obtained in this regard.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions and undertakings from the UA (wherever required) from the State Government, proposal will be considered for final approval under section' 2' of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. The User Agency shall take up the work as per the guidelines in force and after ensuring that all necessary clearances for the entire stretch are in place. Working permission, if any issued, shall be intimated to RO, Gandhinagar. Transfer of forest land shall not be affected till final approval is granted by the Central Government in this regard.
Further, it may also be noted that this **In-principle/Stage-I** approval shall be valid for a period of 2 years from the date of issue of this letter. In the event of non-compliance of the above conditions, this In-principle approval shall be revoked after two (02) years.

Your's faithfully
(Balaji Kari)
Assistant Inspector General of Forests (AIGF)
Regional Office, Gandhinagar
MoEF&CC, Govt of India